


111



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी- 5618/2018/अशोकनगर/भू.सं.

1. मुन्नीलाल पुत्र झगरू
 2. देवीसिंह पुत्र नत्था
 3. रेखा पुत्री नत्था
 4. रामकली पुत्री नत्था
 5. सीता पुत्री नत्था
 6. घुल्ला पुत्री नत्था
 7. सुकिया पुत्री नत्था
 8. कुशुम देवा नत्था
 9. फुलिया बाई पुत्री झगरू
- समस्त जाति हिन्दू निवासीजन सकर्रा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

सी. फि. 24/18
5/9/18

श्री. श्री. राम. सुधा
आज दि. 24-9-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 25-9-18 नियत।

सदर
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

-निगरानीकर्ताजन

वनाम

मिथलेश पत्नि गनेशा जाति
जाटव निवासी सकर्रा
तहसील ईसागढ़ जिला
अशोकनगर म.प्र.

--प्रतिनिगरानीकर्ता

विषय:- निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.सं. 1959 न्यायालय तहसीलदार तृता
कदवाया तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र. के प्रकरण के

मि. सुधा
मि. रेखा
मि. सुधीरा
मि. देवीसिंह

मि. सुधीरा
मि. रेखा
मि. सुधीरा
मि. देवीसिंह

मि. सुधीरा
मि. रेखा
मि. सुधीरा
मि. देवीसिंह

मि. सुधीरा
मि. रेखा
मि. सुधीरा
मि. देवीसिंह

39/अ-12/2017-18 में दिनांक 06/07/2018 राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है—

1. यह कि निगरानीकर्ताजन ग्राम सकर्रा के निवासीजन है। व गरीब कृषक है।
2. यह कि निगरानीकर्ताजन की भूमि ग्राम सकर्रा में सर्वे क्र. 6 रकवा 0.073 हे. सर्वे क्र. 7 रकवा 0.042 हे. सर्वे क्र. 8/1 रकवा 0.652 हे. सर्वे क्र. 240/2 रकवा 0.392 हे. सर्वे क्र. 460/1 रकवा 0.021 हे. सर्वे क्र. 521/1 रकवा 0.136 हे. सर्वे क्र. 549/1 रकवा 0.017 हे. सर्वे क्र. 553/1 रकवा 0.020 हे. सर्वे क्र. 622/1 रकवा 0.111 हे. सर्वे क्र. 623/1 रकवा 0.101 हे. सर्वे क्र. 634/1 रकवा 0.031 हे. सर्वे क्र. 657/2 रकवा 0.282 हे. सर्वे क्र. 658 रकवा 0.036 हे. सर्वे क्र. 824/1 रकवा 0.383 हे. सर्वे क्र. 868 रकवा 0.021 हे. सर्वे क्र. 869/1 रकवा 0.034 हे. कुल कित्ता 16 कुल रकवा 2.452 हे. भूमि स्थित है।
3. यह कि उक्त भूमि निगरानीकर्ताजन के बाप-दादाओं के समय से चली आ रही है। पूर्व में निगरानीकर्ताजन के बाबा उक्त भूमि पर काबिज थें। व फसल बोकर लाभ लेते चले आ रहे है।
4. यह कि मौके पर पूर्व से ही मेढे बनी हुई है। व एक ओर पत्थर का कोट बना हुआ है।
5. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता मिथलेश ने न्यायालय श्रीमान के यहां सीमांकन हेतु आवेदन सर्वे क्र. 859/1 का दिया गया है।
6. यह कि सर्वे क्र. 859 के खसरे में बटे कायम है। किन्तु नक्शे में लाल रसाई से लाईन अंकित नहीं है। न ही नक्से में बटे कायम है।

मिथलेश

मि. मिथलेश

मि. रेश्मा

मि. रेश्मा

मि. मिथलेश

3

मीता

मि. मिथलेश

मि. मिथलेश


देवीप्रकाश

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-5618/2018/अशोकनगर/भू.रा.

मुन्नीलाल आदि विरुद्ध मिथलेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	आदेश दिनांक हरत
17-06-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. यह निगरानी तहसीलदार वृत्त-1, कदवाया तहसील ईसागढ़, जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 39/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 06-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़, जिला-अशोकनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 09-08-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	


(आर.के. जैने) 16/19
सदस्य